डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड

नई दिल्ली

(पंजीकरण संख्या 1884)

कमरा नं0 11 तथा 12,
स्कंध-तीन, भूतल, पश्चिम ब्लॉक-1,
राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066
departmentofirrigation1984@gmail.com
दूरभाष : 011-29583584
दिनांक : 15 सितम्बर, 2025

नोटिस

डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन को-ऑपरेटिव थ्रिफ्ट एवं क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड की महासभा 15.10.2025 (बुधवार) को प्रातः 10.30 बजे केन्द्रीय जल आयोग पुस्तकालय सभागार, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066 में निम्नलिखित मुददों पर कार्यवाही करने वाली बैठक के लिए सूचित किया जाता है:

1. दिनांक 28.10.2024 को सम्पन्न हुई महासभा की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि करना।
2. वर्ष 2024-2025 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट किए हुए हिसाब-किताब (लेखा) पर विचार-विमर्श एवं स्वीकार करना।
3. सहकारी वर्ष 2024-2025 के लिए लाभ राशि 46,79,636.00 रूपये का बंटवारा ।
4.यदि माननीय सदस्यों द्वारा कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो उस पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
6. अध्यक्ष महोदय की पूर्वानुमति से उठाये गये किसी मुददे पर विचार करना।

वार्षिक आम सभा की बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक सदस्य को 750.00 रुपये (रुपये सात सौ पचास केवल)का परिवहन व्यय दिया जाएगा।

स्थान :

केन्द्रीय जल आयोग, पुस्तकालय सभागार, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि कोई सदस्य महासभा की बैठक में कोई रचनात्मक प्रस्ताव रखना चाहता है तो उससे अनुरोध है कि उसे एक अन्य सदस्य द्वारा विधिवत प्रस्तावित एवं समर्थन करवाकर, दो लिखित प्रतियों में, अवैतनिक सचिव के पास भेजे। यह प्रस्ताव हर स्थिति में 08.10.2025 (सांय 17.00 बजे) तक पहुँच जाना चाहिए। 08.10.2025 को सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर ऐसे प्रस्तावों को अधिसूचित कर दिया जायेगा, जो कि सोसाइटी के सदस्यों द्वारा नोटिस के रूप में माना जायेगा। ऐसे प्रस्ताव जो उपर्युक्त ढंग से प्रस्तुत नहीं किए गये होंगे, उन्हें महासभा की बैठक में रखने के लिए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कार्य को सुचारू रूप से चलाने और मर्यादा को कायम रखने के उद्देश्य से सभी सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी व्यक्तिगत शिकायत यदि कोई हो तो उसे लिखित रूप् में 08.10.2025 (सायं 17.00 बजे) तक अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में लाने की कृपा करें ताकि महासभा की कार्यवाही में बिना रूकावट डाले पहले ही इसका संतोषजनक ढंग से निवारण किया जा सके।

यदि दिनांक 15.10.2025को निश्चित समय से आधे घंटे के भीतर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो महासभा की बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी जायेगी और इसके पश्चात् इसी एजेण्डा पर विचार-विमर्श के लिए उसी दिन एवं उसी स्थान पर आयोजित की जायेगी तथा इसके लिए कोई अन्य नोटिस नहीं दिया जायेगा।

(अंजली चौहान)
अवैतनिक सचिव